

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या- 602 -औ०सं०/2014-11(3)ए०एस०/2001

दिनांक 06 फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या-3234-औ०सं०/2010-11(3)ए०एस०/01 दिनांक 10.08.2010 का अतिक्रमण करते हुये सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों, उनके आश्रित परिजनों व पारिवारिक पेन्शनरों को उनके द्वारा इन्टरकुलर लेन्स लगवाने पर हुये वास्तविक वयय अथवा ₹० 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) दोनों में जो भी कम होगा, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

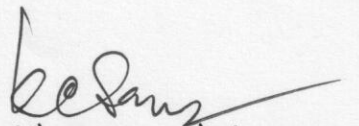
उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश में अथवा राज्य के बाहर किसी भी चिकित्सालय में आपरेशन कराये जाने पर अनुमन्य होगी जिसकी अधिकतम सीमा आपरेशन पैकेज चार्ज ₹० 8000/- (आठ हजार रुपये मात्र) एवं लेन्स का मूल्य ₹० 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) कुल मूल्य ₹० 13000/- अनुमन्य किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्या- 602 - (1) - औ०सं०/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यान्चल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा एवं केस्को-कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में अनुपालन लाये जाने का कष्ट करें।
- 3- अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण) को इस अभुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।
- 6- समस्त उप-महाप्रबन्धक (औद्योगिक-सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा-स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- ✓ 9- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 10- सचिव, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ०प्र०, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड लखनऊ।
- 11- कट फाइल।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)